97

IV / निग / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1846

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर मोतीमहल (म0 प्र0)

1- रामस्वरूप कुशवाहा पिता स्व० रामप्यारे कुशवाहा निवासी ग्राम चौका सोनवर्षा तहसील देवतालाब पूर्व तहसील मउगंज जिला रीवा (म0 प्र0)

------ आवेदक

श्री आर-एस- सेंगर द्वारा आज दि. 21-6-17 को प्रस्तुत

21.6.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र.

बनाम

1- नायब तहसीलदार वृत्त देवतालाब उप तहसील देवतलाब पूर्व तहसील देवतालाब जिला रीवा म. प्र.

--------- अनावेदक

आर-एस- सेंगर 21-6-17

निगरानी विरूद्ध अन्तरिम आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार देवतालाब पूर्व तहसील मउगंज के प्र0 क्र0 63-68 /2015-16 पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 8-6-17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

अन्तरिम निगरानी का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :-

(अ) यह कि आ0 ख0 क्रमांक 56, स्थित ग्राम चौका सोनवर्षा रीवा से मिरजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 07 भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किए जाने हेतु अर्सा कई वर्ष पूर्व अधिकृत किए जाने के बाद उक्त भूमि से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 सडक का निर्माण कराया गया और

रामस्वरूप

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1846

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी नायव तहसीलदार, देवतालाब पूर्व तहसील मउगंज के प्रकरण कमांक 6 अ–68 / 15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 8–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2 / निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3 / आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार देवतालाब के आदेश दिनांक 8–6–17 के अवलोकन पर पाया गया कि नायव तहसीलदार ने अंतिरम आदेश दि. 8–6–17 में इस प्रकार अंकित किया है :– **" आवेदक अधिवक्ता अनु0। आवेदक अनुपस्थित । अनावेदक अधि. उप0 है। प्रकरण पर कोई स्टे पेश नहीं है। राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी को अतिक्रमण हटाने वावत् पत्र जारी हो। "** उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक के पास नायव तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का अवसर है एंव आवेदक तथा उनके अभिभाषक पेशी पर जानबूझकर सुनवाई के लिये अनुपस्थित रहे है तब नायव तहसीलदार ने अंतिरम आदेश दिनांक 8–6–17 से राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी को पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। नायव तहसीलदार ने आवेदक तथा उनके अभिभाषक के पेशी पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने के वावजूद एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की है । नायव तहसीलदार के समक्ष आवेदक को सुनवाई का एंव पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है आवेदक जिन आधारों पर इस न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करना चाहते हैं वही तथ्य नायव तहसीलदार के समक्ष रखकर अनुतोष प्राप्त करने का उन्हें उपचार प्राप्त है परन्तु वह नायव तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने वह क्यों नहीं जाना चाहते हैं ? आवेदक के	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2017 / 1846

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अभिभाषक इस पर मौन है जिसके कारण आवेदक को निगरानी प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। 4 / उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। आदेश की प्रति नायव तहसीलदार, देवतालाब को भेजकर प्रकरण अॅक से कम करते हुये रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। सदस्य	